**उत्तर प्रदेश शासन**
**वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2**
**संख्या-398/14-2-16-4(3)/2016**
**लखनऊ, दिनांक 24 जून, 2016**

## अधिसूचना

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या -16, सन् 1927) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है।

2- उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन राज्यपाल अग्रतर, उप जिलाधिकारी, इटावा तहसील, चकरनगर जिला-इटावा को उक्त वन भूमि के संबंध में वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

## अनुसूची

| क्र0 सं0 | जिला | तहसील | परगना | ग्राम | खसरा प्लाट संख्या | क्षेत्रफल (हे0) | सीमा विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | इटावा | चकरनगर | चकरनगर | चौरैला | 434/7 | 1.872 | उत्तर- सडक ग्राम चौरैला<br>दक्षिण-कृषि क्षेत्र ग्राम चौरैला<br>पूर्व- कृषि क्षेत्र ग्राम चौरैला<br>पश्चिम- चौरैला वन ब्लाक संख्या-2 की सीमा |
| | | | | **योग** | **1 किता** | **1.872** | |

**आज्ञा से,**

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव

shasanadesh.up.nic.in/go/intra